प्रेस नोट 19/03/2024

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देषन में वारंटी/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में कुल 18 वारंटी, 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसमें थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर गोठा बाईपास के पास से अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र प्रेमचन्द निवासी कन्चनपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल (युपी54के8359) बरामद किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/23 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित पायी गयी। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। साथ ही साथ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सिंह पैलेस गली भीटी के पास से मु0अ0सं0 82/24 धारा 328,313,376डी,506 भादवि में वांछित अभियुक्त राजन साहनी उर्फ फेंकू पुत्र बंषबहादुर साहनी निवासी मुहम्मदपुर थाना कोपागंज व पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र विजय षंकर निवासी असना थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

18 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त राहुल यादव निवासी विसुकिया, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मनोज चौहान निवासी कैलाशपुरी अदरी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सुब्बा निवासी ख्वाजाजहॉपुर, मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सरीख निवासी सियाबस्ती, बब्लू तिवारी निवासी सुरहुपुर, राजेश, रामबचन सतीस निवासी मडहा, राजन सोनकर निवासी कोइरीयापार, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अमीन निवासी नेवादा गोपालपुर, सूफियान निवासी मित्तूपुर, केदार मौर्या निवासी जमीन मनौली, अवधेष व मनीष गिरी निवासी सरायमेवागिरी, अमरनाथ निवासी भटौली, सुनीता निवासी नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन, थाना सरालखंसी पुलिस द्वारा आषा देवी निवासी राघोपट्टी थाना सरायलखंसी, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सुरेन्द्र निवासी सक्करपुर थाना दोहरीघाट मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एक दोषसिद्ध अभियुक्त को 07 वर्ष की कारावास व ₹19,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 18–03–2024 को, मु0अ0सं0 604/13 धारा 419,420,504,506 भादवि थाना कोतवाली में दोषसिद्ध अभियुक्त गोरख सिंह चौहान पुत्र स्व0 सज्जन चौहान निवासी लस्सनी थाना नगरा जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए 07 वर्ष की कारावास की सजा एवं ₹19,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में सहायक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली नगर का सराहनीय योगदान रहा।

आज दिनांक 19.03.2024 को पुलिस लाईन के सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेष सिंह अत्री की अध्यक्षता में तीन नये कानूनों में हुये बदलाव के सम्बन्ध में कार्यषाला का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के क्षेत्राधिकारी नगर व समस्त थाना प्रभारियों सहित पीओ, एपीओ, डीजीसी, एडीजीसी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने को लेकर आज दिनांक 19.03.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी सहित अपर पुलिस अधीक्षक महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा भारी संख्या में अद्धसैनिक बल व जनपदीय पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत संस्कृत पाठशाला, शाही कटरा, आरएसएस कार्यालय, औरंगाबाद व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का जायजा लिया गया तथा सड़क के किनारे अतिक्रमण के सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान प्रभारी थाना कोतवाली पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे।